फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्रीमती गंगा बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

रस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 56/24

नांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 28.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा कडेचा पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर के साबिक आराजी न. 855/810 रकबा 5 विघा का हिस्सा 3/5 रकबा 3 विघा कृषि भूमि प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 19.06.2019 को श्रीमती शम्भु पत्नी लोगर रावत निवासी कडेचा से क्रय की उसके पश्चात राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया नाम से खातेदारी से दर्ज हुई जिसमें 2/5 हिस्सा रसीदा बेगम पति मोहम्मद नुर मुसलमान साकिन भीण्डर के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज हैं। यह कि साबिक आराजी न. 855/810 के नवीन सेटलमेट में टुकडे कर दिये तथा नवीन न. 1569, 1570, 1571, 1572 तथा 1562, 1563 बने जो वर्तमान में आराजी सं. 1569, 1570, 1571, 1572, वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 रसीदा बेगम के नाम पर दर्ज हैं तथा आराजी न. 1562, 1563 विपक्षी सं. 1 राज्य सरकार के नाम पर दर्ज हैं तथा प्रार्थीया का नाम से पुराने साबिक आराजी के खातेदारी भूमि को नवीन सेटलमेंट में राजस्व अधिकारीयों द्वारा त्रुटि करते हुए प्रार्थीया का नाम हटाकर प्रार्थीया के हिस्से कब्जे कि भूमि को विपक्षीगण के नाम पर गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया है जिससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर भारी कुठारागात हो रहा है। यह कि साबिक आराजी न. 855/810 रकबा 5 बिघा का हिस्सा 3/5 रकबा 3 बिघा कृषि भूमि जो प्रार्थीया के नाम पर अंकित थी, उसे सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा साबिक आराजी न. 855/810 के 3 बिघा कृषि भूमि का नवीन सेटलमेंट के अनुसार 0.6480 है. भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होनी चाहीये थी, परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना पुराने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर मौके की स्थिति को बिना देखे अपने मन मकसुद तरीके आराजी सें. 855/810 में 3/5 हिस्से के बजाय 0.6480 है. भूमि नवीन सेटलमेंट में विपक्षीगण के नाम दर्ज कर दी गई [illegible] राजस्व रेकर्ड से हटा दिया है जिससे प्रार्थीया के हक अधिकारों से वंचि[illegible] है जबकि मौके पर आज भी प्रार्थीया का पुराने रेकर्ड अनुसार क[illegible] काश्त [illegible] चली आ रही है। यह कि राजस्व अधिकारीयों की त्रुटि की [illegible] नाम पर राजस्व रेक[illegible] नवीन जमाबंदी में खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं है तथा विपक्षीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज है तथा विपक्षी सं. 2 रसीदा बेगम के नाम उसके हिस्से से अधिक भूमि दर्ज कर दी है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

गलत है जिससे प्रार्थीया द्वारा साबिक आराजी न. 855/810 में से 3/5 हिस्सा बिघा भूमि नवीन जमाबंदी के रकबे 0.6480 है. अनुसार प्रार्थीया के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई रिपोर्ट को माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडेचा की जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 की खाता संख्या 75 में आ. 810/8क रकबा 5-00 बीघा भूमि खातेदार तेजिया पिता लाला रावत सा. गोटिपा दर्ज थी और आराजी न. 810/6 रकबा 4-13 बीघा भूमि खातेदार चतरा पिता सा. देह के नाम दर्ज थी। यह कि राजस्व ग्राम कडेचा की जमाबंदी सम्वत् 2068 की खाता सं. 127 की आराजी प. 810/6 रकबा 4-13 खातेदार रसीदा बेगम मोहम्मद नूर मुसलमान निवासी भीण्डर के नाम दर्ज हुई एवं खाता सं. 106 की आरा. 855/810 रकबा 5-00 बीघा नामान्तरण संख्या 475 विरासत 480, 487, 569 विक्र. उक्त भूमि रसीदा बेगम पति मोहम्मद नूर 2/5 मूसलमान निवासी भीण्डर गंगा उदयलाल 3/5 मीणा निवासी कडेचा के नाम दर्ज हुई। (जमाबंदी सं. 2051-54 आराजी न. 810/8 क रकबा 5-00 बीघा को रोटेशन जमाबंदी 2068-71 में 855/810 बनाया गया हो सकता है क्योंकि आराजी में क, ख, ग वगैरह कम्प्युटर लेता था।) यह कि नवीन राजस्व रेकर्ड में ग्राम केडेचा की जमाबंदी 2078-2081 में आराजी न. 855/810 रकबा 5-00 बीघा के नए आराजी से खाता कायम नहीं किया तथा आराजी न. 810/6 रकबा 4-13 बीघा का नया खाता 124 आराजी न. 1569 र. 0.5000, 1570 रकबा 0.0500, 1571 रकबा 0.2100, 1572 रकबा 0.2400 कुल कित. रकबा 1.0000 है. बनाया गया जिसमें रसीदा बेगम पत्नी मोहम्मद नूर हिस्सा पूर्ण मुसलमान भीण्डर खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। यह कि राजस्व ग्राम कडेचा भू-प्रबन्ध जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया कि गत आराजी न. 810/8क का आराजी न. 1563 रकबा 0.2000 बनाया गया एवं शेष रकबा के बारे में कोई स्पष्ट वि. दर्ज नहीं है। यह कि ग्राम कडेचा की जमाबंदी सम्वत् 2078-2081 के खाता सं. खातेदार रसीदावेगम पत्नी मोहम्मद नूर जाति मुसलमान के आराजी न. 1569 रकबा 5000, 1571 रकबा 0.2100, 1572 रकबा 0.2400 कुल किता 3 रकबा 0.9500 है. भूमि से 0.3600 है. भूमि पर गंगा पत्नी उदयलाल जाति मीणा का कब्जा है, खाता संख्या खातेदार कन्ना, गमाना, नाराण, भीमा पिता धुला डांगी की आ.न. 1667/1561 रकबा 1700 में 0.0700 है. पर गंगा पत्नी उदयलाल जाति मीणा का कब्जा है एवं खाता सं. खातेदार नारायण पुत्र भेरा हिस्सा पूर्ण जाति राव की आराजी न. 1564 रकबा 0.3400 1567 रकबा 0.0800, 1601 रकबा 0.3400 में 0.2400 है. पर गंगा पत्नी उदयलाल जाति मीणा का कब्जा है और शेष आराजी पर रसीदावेगम पत्नी मोहम्मद नूर जाति मुसलमान का कब्जा है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि ग्राम कडेचा के गत भू प्रबन्धन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested